हम और हमारे अधिकार

महिलाओं के संपत्ति अधिकार, समान नागरिक संहिता और महिला नेतृत्व

महिला किसान, कानूनी अधिकार, सरकारी योजनाएँ और संगठनों को मजबूत करने की मार्गदर्शिका

ARPAN
ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING AND ACTION

Womanity

भारत में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार

महिला का भूमि में स्वतंत्र स्वामित्व अधिकार: आवश्यकता व फायदे

पहाड़ी कृषि के संदर्भ में यह कहना सही है कि महिला और पुरुष दोनों कृषि कार्य करते हैं। लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व पशुपालन के कार्य से जुड़ी हैं। यह अलग बात है कि उन्हें किसान का दर्जा नहीं मिलता, क्योंकि किसान वही कहलाता है जिसके पास भूमि पर मालिकाना हक होता है। कृषि कार्य कर रही महिलाओं में से लगभग 2 प्रतिशत से भी कम महिलाओं के पास कृषि भूमि का स्वामित्व पाया गया है।

महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका आदि कई मुद्दों पर सघन रूप से कार्य होते रहे हैं, परंतु इसके बावजूद सामाजिक और आर्थिक लिंग भेद अभी भी समाज में कायम है। कई परिवारों और समाजों में महिला को कमतर, उपभोग की वस्तु, पराया “धन” और कमजोर मानने की विचारधारा के कारण महिलाओं पर हिंसा, शोषण और भेदभाव के अनेक रूप देखने को मिलते हैं।

जिस परिवार, समाज और देश में यह गैर-बराबरी नहीं होती, वहाँ तरक्की और विकास की गति तेज होती है। महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संपत्ति पर उनका अधिकार अत्यंत आवश्यक माना गया है। विभिन्न शोध अध्ययनों और जमीनी स्तर पर कार्य करने के अनुभव यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भूमि या संपत्ति पर महिलाओं का स्वामित्व उनके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव लाता है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

- जब किसी महिला के पास भूमि या संपत्ति पर मालिकाना अधिकार होता है, तो उसकी समाज में एक स्वतंत्र पहचान बनती है। इससे उसका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत होती है।

- ऐसे परिवारों में बच्चों की देख-रेख, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति अधिक संतोषजनक पाई गई है।
- संपत्ति पर अधिकार होने से महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आती है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है।
- दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी यह एक प्रभावी कदम सिद्ध होता है।
- जिन परिवारों में पति रोजगार के कारण लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, वहाँ महिलाएँ कृषि कार्य का पूर्ण प्रबंधन स्वयं करती हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और बाजार तक उनकी पहुँच अधिक सुलभ हो जाती है तथा वे परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से ले पाती हैं।
- महिला किसान का कृषि संबंधी ज्ञान अत्यंत व्यावहारिक और मूल्यवान होता है। निरंतर हो रहे जलवायु परिवर्तन के बीच महिलाओं ने अपने अनुभव और समझ से कृषि को दिशा दी है। पारंपरिक बीजों का संरक्षण, मोटे अनाजों का उत्पादन और मिश्रित खेती जैसी परंपराओं को महिलाओं ने ही जीवित रखा है।
- भूमि पर अधिकार महिलाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति में उन्हें मजबूती से चुनौती देने में सहायक होता है।

महिला किसान का भूमि में स्वतंत्र स्वामित्व अधिकार के फायदे

महिला किसान के हक में दिए गए नारे

अपनी मिट्टी
अपनी मिट्टी, अपनी शान, अपने बीज, अपना स्वाद!

पूरा सम्मान
हर महिला की यही पुकार– पूरा सम्मान, पूरा अधिकार!

सत्तर काम
सौ में सत्तर काम हमारे, बहीखाते में जोड़ो नाम हमारे!

ईमानदारी और मेहनत
ईमानदारी और मेहनत जिसकी शान, वह है महिला किसान!

गेहूँ-धान
जोते, बोए गेहूँ-धान, हम भी हैं महिला किसान!

भू-पट्टे में हक
भू-पट्टे में हक समान, हम भी हैं देश के किसान!

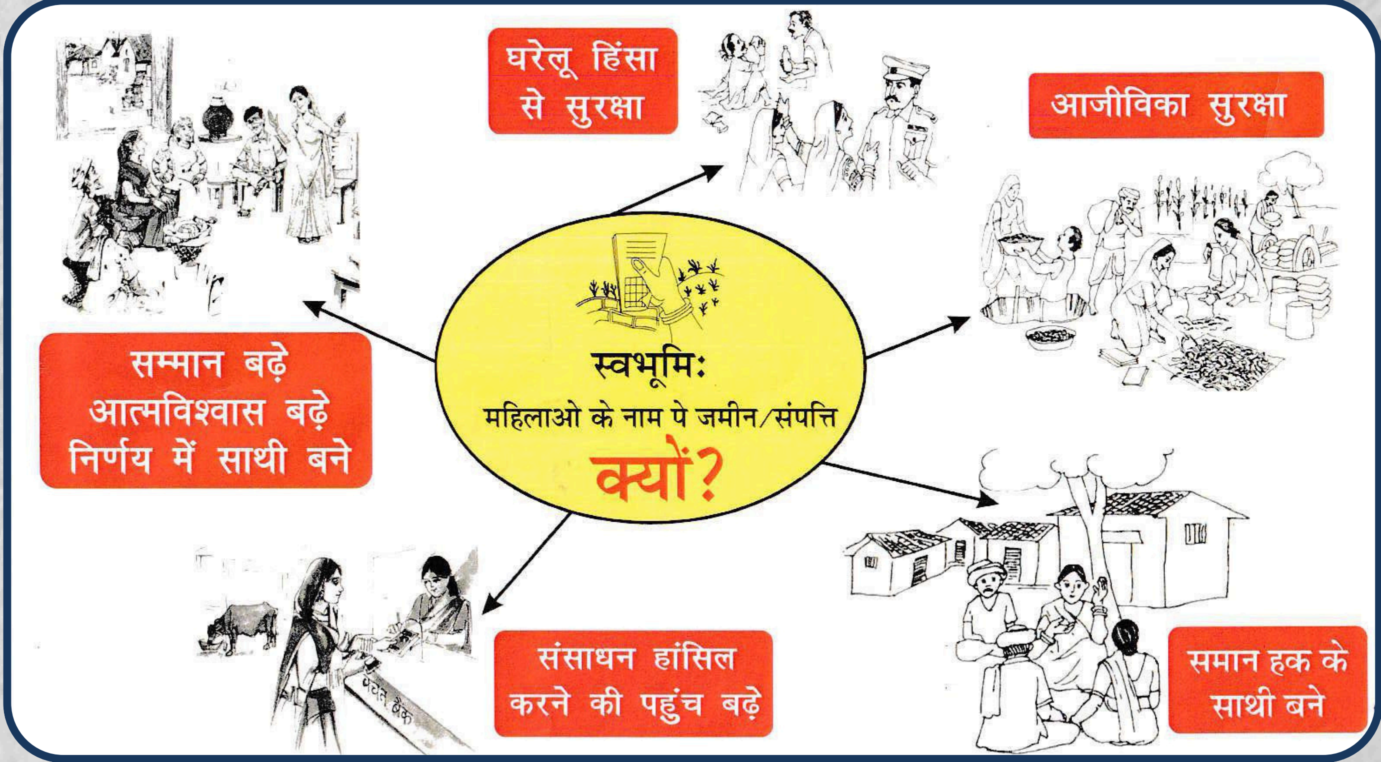

खेती की रीढ़: महिला किसान

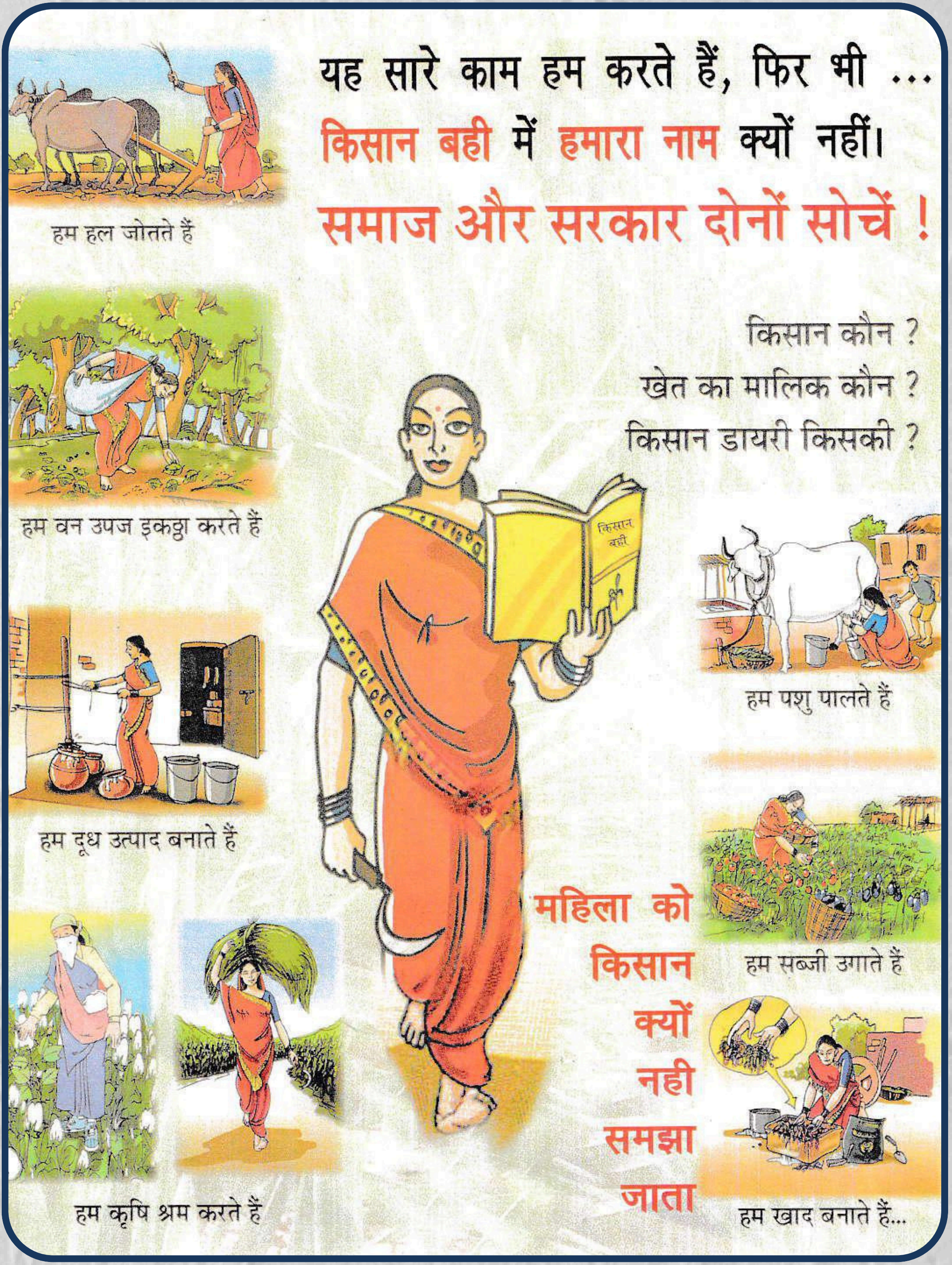

महिलाएँ खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं।
वे जुताई से लेकर कटाई तक, पशुपालन से लेकर खाद बनाने तक,
और घर की रसोई से लेकर बाजार तक— हर स्तर पर कृषि को संभालती हैं।
फिर भी ज़मीन के काग़ज़ों में, योजनाओं के लाभ में, और किसान की पहचान में
— महिलाएँ अक्सर पीछे छूट जाती हैं।
अब समय है कि समाज और सरकार
महिला को किसान के रूप में स्वीकार करे।

महिलाओं के संपत्ति के कानूनी अधिकारों में आए ऐतिहासिक बदलाव

महिलाओं के पक्ष में कानून होते हुए भी वे उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाती हैं। इसकी एक बड़ी वजह महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता और जानकारी का अभाव है। जानकारी और ज्ञान महिलाओं को मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं।

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीअत), 1937
- भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 / तलाक अधिनियम, 1869 / उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
- महिलाओं को समानता देने और लैंगिक भेदभाव समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
- 5 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देकर अधिनियम, 1956 में निहित भेदभाव को दूर किया और नई धारा 6 जोड़ी। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू हो गया।
- 2024 में उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू की गई।
- 27 जनवरी, 2025 से प्रभावी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया।
- समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में, (UCC) व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप आदि को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक एकीकृत सेट है।, सभी निवासियों के लिए, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। यह विभिन्न धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक सामान्य नागरिक कानून ढांचे के साथ प्रतिस्थापित करता है.

इन कानूनी सुधारों का वास्तविक लाभ तभी संभव है, जब महिलाएँ अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों को समझें, स्वीकार करें और निर्भीक होकर उनका दावा करें।

कानूनों की प्रभावशीलता जागरूकता, आसान कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक समर्थन पर निर्भर करती है।

महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं, बल्कि परिवार और समाज में उनकी निर्णय-क्षमता और सम्मान को भी बढ़ाते हैं।

यह परिवर्तन एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करता है जहाँ कानून और समानता व्यवहार में भी साथ-साथ चलें।

समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता (UCC) का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद - 44 के तहत आती है।
उद्देश्य: UCC का लक्ष्य विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, ताकि लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके.

UCC के तहत भूमि और संपत्ति अधिकार

कानून के तहत भूमि अधिकारों में मुख्य बदलाव यह है कि अब बेटा-बेटी, अवैध रिश्तों से पैदा बच्चे, गोद लिए गए बच्चे, और सरोगेसी से जन्मे बच्चों सहित सभी को संपत्ति में बराबर अधिकार मिलेंगे, पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में कोई भेद नहीं होगा, और पति-पत्नी व माता-पिता को भी समान हिस्सेदारी मिलेगी, जिससे सभी के लिए संपत्ति के उत्तराधिकार के एक समान नियम लागू होंगे. मुख्य बिन्दू निम्न है -

- समान अधिकार: बेटे और बेटियों को हर परिस्थिति में संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी.
- अमान्य विवाह और लिव-इन के बच्चे: लिव-इन रिलेशनशिप या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी कानूनी तौर पर संपत्ति में उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने कि वैध विवाह से जन्मे बच्चों को मिलते हैं.
- संपत्ति का प्रकार: पैतृक (ancestral) और स्व-अर्जित (self-acquired) संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं होगा; दोनों पर एक ही उत्तराधिकार कानून लागू होगा.
- उत्तराधिकारियों की श्रेणियाँ:
  - श्रेणी 1: पति/पत्नी, बच्चे, मृत बच्चों के बच्चे, और माता-पिता.
  - श्रेणी 2: सौतेले माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी, आदि.
- माता-पिता का अधिकार: बिना वसीयत के मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति में माता-पिता (माँ और बाप दोनों) को भी बच्चों के बराबर हिस्सा मिलेगा.
- विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं का अधिकार: उत्तराखंड में महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह-खातेदार बनाया गया है, जिससे वे लोन ले सकती हैं और अपने हिस्से की जमीन बेच सकती हैं, भले ही पति जीवित हो या लापता हो (7 साल बाद).

पंजीकरण और अनुपालन के लिए एक समर्पित यूसीसी पोर्टल और सेवाएं शुरू की गई हैं.

👉 https://ucc.uk.gov.in

ऑनलाइन सिस्टम और सहायता - आपके पास आवेदन करने के कई तरीके हैं:

UCC पोर्टल (प्राथमिक)

- खाता बनाएँ/लॉगिन करें
- निर्वसीयत उत्तराधिकार का चयन करें या पंजीकरण करेंगे
- दस्तावेज़ अपलोड करें और ऑनलाइन जमा करें
- प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करें
- सत्यापन और अंतिम चरण

- जमा करने के बाद, उप-पंजीयक दस्तावेजों और उत्तराधिकारी की स्थिति की पुष्टि करता है।
- एक बार स्वीकृत होने के बाद, आपको UCC ढांचे के तहत एक कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
- यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के साथ भूमि उत्परिवर्तन/हस्तांतरण के लिए आवश्यक है (उदाहरण के लिए, भू-लेख/भूमि रिकॉर्ड में) और विरासत के दावों के लिए। आमतौर पर यूसीसी वारिस प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भूमि अभिलेख/तहसील कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।

यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

- ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल (ucc.uk.gov.in) विकसित
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) Training Partner के रूप में नामित
- क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए ज़िलों में नोडल अधिकारी नामित सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्पडेस्क (1800-180-2525) स्थापित
- विधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त
- प्राधिकार – यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत - नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
- इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे।

महिला नेतृत्व, क्षमता विकास एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता : आत्म-मूल्यांकन ढाँचा

महिला संगठनों को सशक्त, सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संगठन से जुड़ी प्रत्येक महिला अपनी क्षमताओं, अनुभवों और संभावनाओं को पहचाने। इसके साथ-साथ समाज और परिवार को संचालित करने वाले मूल्यों, परंपराओं और निर्णय प्रक्रियाओं पर सोच-समझकर विचार करना, तथा बदलती परिस्थितियों में समझदारी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी जरूरी है।

यह प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी है कि महिलाएँ एक-दूसरे का साथ दें, सहयोग करें और संगठन की हर महिला को आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराएँ। जब महिलाएँ मिलकर सोचती हैं, सीखती हैं और काम करती हैं, तो संगठन अधिक मजबूत, प्रभावशाली और टिकाऊ बनता है।

नीचे दिए गए सवाल और उनके संभावित जवाब फील्ड कार्यकर्ता/उत्प्रेरक के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में तैयार किए गए हैं। ये सवाल महिलाओं के भीतर छिपे नेतृत्व गुणों को उभारने, उनकी सोच को स्पष्ट करने और संगठनात्मक मजबूती की दिशा तय करने में सहायता करेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि हर सवाल का जवाब तुरंत या सभी के लिए एक-सा हो।

ये सवाल किसी परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि आत्म-मूल्यांकन और आत्म-चिंतन के उपकरण हैं। इन पर विचार करने से महिलाएँ अपनी वर्तमान स्थिति को समझ पाएँगी, अपनी ताकत और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों को पहचानेंगी, और धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ाएँगी। यही छोटे-छोटे कदम आगे चलकर व्यक्तिगत बदलाव और संगठनात्मक प्रगति का मजबूत आधार बनेंगे।

1- स्व-प्रबंधन (आत्मविश्वास)

आत्म-सम्मान और आत्म-जागरूकता है (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मुझे अपने नेतृत्व गुणों पर भरोसा है
- मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है और मुझे और सीखने की आवश्यकता है
- मेरे पास पर्याप्त शिक्षा है और मुझे और सीखने की आवश्यकता नहीं है
- मैं नियमित रूप से अपनी देखभाल, रखरखाव और विकास में समय बिताती हूँ
- मेरी ज़िम्मेदारियों का एक बड़ा हिस्सा अवैतनिक गतिविधियों के लिए है
- मेरी ज़िम्मेदारियों का एक बड़ा हिस्सा सशुल्क गतिविधियों के लिए है
- मैं अपने सुधार के क्षेत्रों को आत्मविश्वास/सार्वजनिक भाषण/बातचीत मानती हूँ

स्थिति और लिंग की परवाह किए बिना दूसरों का सम्मान करती हूँ (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- समाज में, मैं कुछ समूहों को दूसरों से बेहतर मानती हूँ
- मेरे गाँव में बहुत कम घर ऐसे हैं जो स्थिति में मेरे बराबर/से बेहतर हैं
- मेरे परिवार में, मैं पुरुषों और महिलाओं को समान स्थिति में मानती हूँ
- अन्य सामाजिक समूहों के परिवारों में अपने परिवारों में समानता सुनिश्चित करने की संस्कृति नहीं है

अनुकूलन और लचीलापन (परिस्थितियों के अनुसार ढलना)

- पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए महिलाओं का लचीला होना ज़रूरी है
- मैं खुद को अपने परिवार में सबसे दृढ़निश्चयी व्यक्ति मानती हूँ
- मैं खुद को अपने महिला समूह में सबसे दृढ़निश्चयी व्यक्ति मानती हूँ
- मैं काम पूरा करने में लगी रहती हूँ, भले ही मेरे समूह के अन्य लोग हार मान चुके हो

व्यक्तिगत और सामूहिक आकांक्षाओं की क्षमता है (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मैं महिलाओं के लिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सपनों को पूरा करना महत्वपूर्ण मानती हूँ, भले ही इसके लिए उन्हें अपने सपनों का त्याग करना पड़े।
- मैं महिलाओं के लिए अपने सपने देखना महत्वपूर्ण मानती हूँ।
- मैं अपने लिए सपने देखने की उम्र पार कर चुकी हूँ।
- मैं नई चीज़ें सीखने की उम्र पार कर चुकी हूँ।
- ऐसी कई नई चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहती हूँ।
- मुझे अपनी क्षमता में विविधता लाने के लिए नए कौशलों की आवश्यकता है।

तनाव और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मेरा जीवन चुनौतियों से भरा रहा है
- मैं अपने जीवन के सभी पहलुओं का स्वतंत्र रूप से ध्यान रख सकती हूँ
- मैं अपने गाँव में संकटग्रस्त किसी भी व्यक्ति की बिना वेतन के सहायता करना पसंद करती हूँ
- मैंने अपने क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण के मामलों की कभी भी रिपोर्ट नहीं की है/कभी रिपोर्ट की है
- मैं किसी भी झगड़े या परेशानी में नहीं पड़ना चाहती

2- संबंध प्रबंधन (क्षमता)

पारस्परिक संबंधों को संभालने में सक्षम (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मेरे परिवार के कुछ लोगों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं
- परिवार के बाहर के लोगों से जुड़ना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है
- अपने समुदाय के बाहर के लोगों से जुड़ना मुश्किल है
- मैं अपने परिवार के बाहर के पुरुषों से बात करने में एक साल पहले की तुलना में ज़्यादा आत्मविश्वासी/ घबराई हुई हूँ
- मैं अपने समूह के अन्य लोगों के उन मुद्दों पर विचारों को ध्यान में रखती हूँ जो सही और न्यायसंगत हैं

दूसरों की मदद करने की इच्छा (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मेरे दिन का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार की देखभाल में बीतता है
- परिवार के सदस्य हमेशा उम्मीद करते हैं कि मैं किसी भी समय उनकी मदद कर सकूँगी
- मुझे अपने परिवार और आस-पड़ोस के लोगों की मदद करना पसंद है, चाहे वह मुश्किल ही क्यों न हो

प्रभावशाली लोगों से संवाद करती हूँ और हितधारकों को प्रभावित करती हूँ (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मैं अपने जीवनसाथी को अपने काम के बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कभी सफल नहीं होती।
- मैं परिवार के सदस्यों को नई प्रथाओं पर सहमत होने में मदद करती हूँ, कभी/कभी नहीं।
- मैं सरकारी और पंचायत अधिकारियों को कमजोर समूहों के लिए सेवाओं में सुधार करने के लिए राजी करने में सक्षम हूँ।

बातचीत और संघर्ष प्रबंधन में विश्वास रखती हूँ (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मैं असहमत विचारों से परेशान हो जाती हूँ
- मैं हमेशा/कभी-कभी सामान्य समस्याओं पर सामुदायिक पहलों में भाग लेती हूँ
- मैं जटिल स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक पहलों का उपयोग करती हूँ
- अगर काम सही होता है, तो मैं उसे करने के लिए तैयार रहती हूँ

साझेदारी बनाने में सक्षम (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मुझे अपने परिवार और समुदाय के भीतर की गतिविधियों में रुचि है
- मैं आमतौर पर सामाजिक मेलजोल, सामुदायिक गतिविधियों और धार्मिक कार्यों में समय बिताती हूँ
- मेरा काम (परिवार/परियोजना/व्यवसाय) मुझे सामुदायिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का समय नहीं देता (हाँ/नहीं)

3- परिणाम आधारित काम

सीखने और कार्रवाई के लिए पहल करती है (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मुझे नए लोगों और नई बातें जानने की जिज्ञासा रहती है, इसलिए मैं स्पष्टता के लिए हमेशा प्रश्न पूछती हूँ
- मैं दूसरे लोगों के ज्ञान को सक्रिय रूप से सुनती हूँ
- मैं अपने ज्ञान और कार्यों से विश्वास बनाने में सक्षम हूँ

संगठनात्मक नैतिकता और मूल्यों को समझती हूँ (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मैं अपने समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
- सद्भाव बनाए रखने के लिए जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, उनके साथ समझौता करना ज़रूरी है।
- मैं अपने या अपने परिवार के साथ किसी का भी बुरा व्यवहार कभी सहन नहीं करती।
- मैं समाज के कमजोर वर्ग के प्रति किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध करती हूँ।

त्वरित निर्णय लेने में कुशल (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- संकट के समय मैं पहल करती हूँ
- मैं नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में सक्षम हूँ
- मैं समस्याओं का हल निकालने के लिए नए-नए उपाय सोचती हूँ
- मैंने पिछले एक वर्ष में अपने जीवन में बदलाव किए हैं

क्या प्रक्रिया का पालन होता है (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मैं समस्याएँ सुलझाने के लिए आगे बढ़कर कार्य करती हूँ और आवश्यक निर्देशों का पालन भी करती हूँ
- मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि सभी कदम उठाए जाएँ, भले ही इसमें अधिक समय लगे
- मेरे लिए सही रिपोर्ट करना ज़रूरी है, चाहे किसी को पसंद न आए

विश्लेषण करने की क्षमता (सभी लागू विकल्पों का चयन करें)

- मैं खुद को खुले विचारों वाला मानती हूँ
- मैं लोगों से बातचीत करते समय ध्यान से सुनती हूँ
- मुझे स्पष्टता पाने के लिए प्रश्न पूछने की ज़रूरत होती है
- मुझे अपने समूह के लिए कार्य योजनाएँ बनाना पसंद है
- मुझे दूसरों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लिखना पसंद है

महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ

(सरल जानकारी – पात्रता, लाभ और ज़रूरी कागज़)

क्रम	योजना का नाम	लाभ / सहायता	पात्रता (किसके लिए)	आवश्यक दस्तावेज
1	**प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि**	₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 हर 4 माह)	किसान, भूमि 1–100 नाली	आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो, जमीन के कागज़, आधार लिंक मोबाइल
2	**दिव्यांग पेंशन / भरण–पोषण**	मासिक पेंशन	40% या अधिक दिव्यांग	दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार, निवास प्रमाण, BPL/आय प्रमाण, फोटो, बैंक खाता, मोबाइल
3	**स्पॉन्सरशिप योजना**	बच्चों को सहायता	अनाथ / असहाय बच्चे	संरक्षणकर्ता व प्रधान आवेदन, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण, आय/BPL, शपथ पत्र, संयुक्त खाता
4	**वृद्धावस्था पेंशन**	₹1,500 प्रति माह	60 वर्ष से अधिक	आधार, ग्राम सभा प्रस्ताव, बैंक खाता, मोबाइल, आय/BPL (₹48,000 वार्षिक), आयु प्रमाण, परिवार रजिस्टर, फोटो
5	**विधवा पेंशन**	₹1,500 प्रति माह	पति की मृत्यु के बाद	आधार, मृत्यु प्रमाण, बैंक खाता, मोबाइल, आय/BPL (₹4,000 मासिक)
6	**प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना**	₹5,000 (पहला जीवित बच्चा)	गर्भवती महिला	पंजीकरण कार्ड, प्रसव पर्ची, मां-बच्चा-आशा फोटो, आधार, बैंक खाता, मोबाइल
7	**सुकन्या समृद्धि योजना**	बालिका का भविष्य सुरक्षित	0–9 वर्ष की बालिका	जन्म प्रमाण, अभिभावक आधार+पैन, फोटो
8	**SC/ST छात्रवृत्ति**	₹600–₹2,800 (कक्षा अनुसार)	SC/ST छात्र	जाति प्रमाण, आय प्रमाण, मार्कशीट, आधार, BPL/आय (₹5,000 मासिक)
9	**तीलू रौतेली पेंशन**	₹1,200 प्रति माह	खेती में 20–40% दिव्यांग	आधार, निवास प्रमाण, बैंक/डाक पासबुक, फोटो, दिव्यांग प्रमाण, वोटर ID
10	**विधवा पेंशनधारी की पुत्री विवाह अनुदान**	₹50,000	विधवा पेंशनधारी महिला	पेंशन प्रमाण, आधार, बैंक खाता, विवाह प्रमाण
11	**परित्यक्ता / मानसिक रूप से विकल की पुत्री विवाह अनुदान**	₹50,000	पेंशनधारी महिला/दिव्यांग	पेंशन प्रमाण, आधार, बैंक खाता, विवाह प्रमाण

अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ

उत्तराखंड में कृषि भूमि मापन प्रणाली

उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि मापने के लिए परंपरागत रूप से नाली और मुट्ठी का उपयोग किया जाता है।

- 16 मुट्ठी = 01 नाली
- 01 नाली = 200 वर्ग मीटर
- 50 नाली = 10,000 वर्ग मीटर = 01 हेक्टेयर

👉 यह मापन प्रणाली आज भी ग्रामीण स्तर पर प्रचलित है, जबकि सरकारी अभिलेखों में क्षेत्रफल को वर्ग मीटर, हेक्टेयर और एकड़ में दर्ज किया जाता है।

पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की स्थिति, सिंचाई और उर्वरता के आधार पर भूमि को स्थानीय रूप से निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- तलाऊ भूमि – निचले हिस्सों में स्थित, अधिक उपजाऊ और प्रायः सिंचित भूमि
- उपराऊ भूमि – ऊँचाई पर स्थित, वर्षा पर निर्भर भूमि
- इजरान भूमि – कम उपजाऊ, पथरीली या सीमित उपयोग वाली भूमि

👉 यह वर्गीकरण भूमि की खेती, उत्पादकता और योजनाओं के चयन में सहायक होता है।

गोल खाता (संयुक्त खाता)

राजस्व अभिलेखों में जब किसी भूमि का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दर्ज होता है, तो उसे गोल खाता कहा जाता है।

- इसमें सभी खातेदार भूमि के संयुक्त हिस्सेदार होते हैं
- भूमि की बिक्री, बँटवारा या हस्तांतरण सभी हिस्सेदारों की सहमति से ही संभव होता है
- विवाद की स्थिति में मामला तहसील या राजस्व न्यायालय में जाता है

👉 गोल खाते की भूमि में लेन-देन करते समय विशेष सावधानी आवश्यक होती है।

सरकारी तंत्र में भूमि संबंधी कार्य हेतु विभागीय अधिकारी

उत्तराखंड में भूमि प्रशासन राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है:

- जिला अधिकारी (DM) – जिले में भूमि व राजस्व व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी
- उपजिलाधिकारी (SDM) – उपखंड स्तर पर राजस्व न्यायिक अधिकारी
- तहसीलदार – भूमि रिकॉर्ड, दाखिल-खारिज, सीमांकन आदि के लिए उत्तरदायी
- पेशकार – तहसील स्तर पर न्यायिक व अभिलेखीय कार्यों में सहायक
- पटवारी – गांव स्तर पर भूमि अभिलेखों का संधारण व निरीक्षण
- कानूंगो – पटवारियों के कार्यों की निगरानी करने वाला अधिकारी

उत्तराखंड के प्रमुख भूमि कानून

उत्तराखंड भूमि सुधार एवं ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950

- कृषि भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण और अधिकारों को नियंत्रित करता है
- भूमिधर, असामी, किरायेदार जैसे वर्ग निर्धारित करता है

धारा 143 (भूमि उपयोग परिवर्तन)

- कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग (घर, दुकान, संस्था आदि) में बदलने के लिए
- SDM से अनुमति आवश्यक
- बिना अनुमति भूमि उपयोग परिवर्तन अवैध माना जाता है

धारा 154 (बाहरी व्यक्ति को भूमि बिक्री प्रतिबंध)

- पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि राज्य से बाहर के व्यक्ति को बेचना प्रतिबंधित
- विशेष अनुमति के बिना बिक्री अमान्य मानी जाती है

भूमि बँटवारा (पार्टिशन)

- संयुक्त भूमि का विभाजन तहसील स्तर पर आवेदन द्वारा किया जाता है
- सीमांकन, सहमति और अभिलेख सुधार आवश्यक चरण होते हैं

दाखिल-खारिज (नामांतरण)

- भूमि क्रय, विरासत या दान के बाद
- राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करना अनिवार्य
- यह प्रक्रिया तहसील/पटवारी के माध्यम से होती है

उपयोगी मार्गदर्शक संकेत

- किसी भी भूमि लेन-देन से पहले खसरा-खतौनी अवश्य जाँचें
- गोल खाता भूमि में अकेले निर्णय से बचें
- मौखिक समझौते की बजाय लिखित व पंजीकृत दस्तावेज़ पर भरोसा करें
- संदेह की स्थिति में पटवारी या तहसील कार्यालय से जानकारी लें

ARPAN

ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING AND ACTION

कार्यालय का पता -

अर्पण संस्था, ग्राम हेल्पिया,

पो० ऑ० अस्कोट, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड, भारत।

262543

अर्पण की डिजिटल मौजूदगी के लिए यहाँ स्कैन करें